समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-40, दिनांक-28.09.2015 के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2070 अन्य प्रशासनिक सेवाए-00-115 अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003, सर्किट भवन गैर योजना माँग सं0-33 विपत्र कोड-N-2070001150003 के अंतर्गत विभिन्न विषय शीर्षो में वर्तमान वित्तीय वर्ष-2015-16 में व्यय हेतु आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्न प्रकार जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	कुट संख्या	प्राथमिक ईकाइ	उपावंटित राशि
01	02	03	04	05
01.	जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	1301	कार्यालय व्यय	30000
		1303	दूरभाष	4000
		2101	सामग्री एवं पूर्त्तियाँ	200000
		1304	विद्युत प्रभार	50000
		2801	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाऐं	50000
	कुल योगः-			334000

(मो0 तीन लाख चौंतीस हजार रूपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561,वि0,(2)दिनांक-17.04.1998 एवं 396 दिनांक-24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
4. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
5. यह राशि मुख्य शीर्ष N-2070001150003 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष- 2015-16 में विकलनीय होगा।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. मासिक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विपत्र संख्या, कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित इस कार्यालय को नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. उपर्युक्त उपावंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. उपावंटित राशि का विचलन कर अन्य मदों में कदापि व्यय नहीं किया जाय।
11. इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 742-2/स्था0, मधेपुरा, दिनांक- 3-10-2015

प्रतिलिपि :- जिला नजारत उप समाहर्त्ता मधेपुरा एवं कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

e:\shailendra jee\2053 all.doc